संख्या–170 / XVIII(II) / 2013–18(43) / 2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग–2

दिनांकः– 12 फरवरी, 2013

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी भौरा (बोरा) ग्राम हल्दू की स्थापना हेतु कुल 25 नाली अर्थात 0.501 है0 भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–557 / सात–30 / 2011–12 दि0–21.4.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या–258 / 16(1) / 73–राजस्व–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60) / 93–280–रा0–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एवं गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति के उपरान्त जनपद पिथौरागढ की तहसील पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी भौरा (बोरा) ग्राम हल्दू की स्थापना हेतु ग्राम हल्दू, पटवारी क्षेत्र क्वीतड़, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद खाता सं0–140 के खेत सं0–3943 मध्ये कुल 25 नाली अर्थात 0.501 है0 भूमि की कीमत प्रचलित बाजार की दर से वसूल किये जाने एवं भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के सौ गुने के बराबर की धनराशि पंजीकृत मूल्य के रूप में एकमुश्त जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

2– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने / पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150 / 1 / 85 (24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1 / 2 गुना से कम नही होगा।

4– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा। इसके

.....2

अतिरिक्त पट्टेदार/विभाग के राज्य में कार्य न करने अथवा भवन/भूमि निष्प्रयोज्य हो जाने की दशा में भूमि सभी भवन/परिसम्पत्ति सहित सभी भारों से मुक्त राज्य सरकार में विहित मानी जायेगी।

5– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में गैर वानिकी कार्य हेतु भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

6– प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से 5 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0– 170 /संमदिनांकित/2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. सेनानायक, पांचवी वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल, पिथौरागढ़।
5. निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।